

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियमित दिनोंक से 120 दिन के अन्दर निम्नांकित जानकारी का प्रकाशन करना होगा:—

1. इसमें संगठन / विभाग से संबंधित कार्य तथा कर्तव्यों को बतलाना कि विभाग का क्या स्वरूप है, उसकी अभी तक क्या उपलब्धियाँ रही ।
- 1 प्रशिक्षणार्थियों को तकनीकी गैरतकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षण देना । इसका प्रशिक्षण पूरे भारत में एक साथ लागू किया जाता है । प्रतिवर्ष इस संस्था से उत्तीर्ण होकर विभिन्न रोजगारों का लाभ उठाते हैं ।

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

2. कार्यालय में कितने अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं,उनका नाम पद,कितना वेतन है एवं उनका कार्य क्या है,

सूची संलग्न है:—

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

- 3. विनिश्चय / निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी / पर्यवेक्षण तथा जबाबदेही का माध्यम / तालिका
- फाइल का प्रारंभ प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने
- स्टाफ तथा सेक  प्रभारी अधिकारी  वाला अधि.
- फाइल का प्रारंभ अनुभाग से होता हुआ कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है। निर्णय अधिकारी के द्वारा लिया जाता है।

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

4. उनके कार्य निर्वहन के लिये मापदण्ड / प्रतिमान निश्चित करना

Activity function	Time norms	Quality norms	Quantity
प्रशिक्षण कार्य	समय सारणी अनुसार 8 घंटे	कुशल कारीगर तैयार करना	प्रतिवर्ष 200 प्रशि.

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

5. प्राधिकारी के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के उपयोग में लाये जाने वाले

1. अधिनियम

2. नियम

3. विनियमों

4. मेनुअल

5. रिकार्ड्स

मध्यप्रदेश राज्य के नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

6. प्राधिकारी द्वारा धारित या उनके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण.

S.No.	Name of Deptt.	Kind of document, file, microfilm, register, books, diskettes, etc	Nature of document	Duration of record
1	ITI Sagar	Register, File & Books	Related with Training & Employees	As per M.P. Govt. Rules

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

7. नीति के सूत्रीकरण / प्रतिपादन अथवा उनके कार्यान्वयन / परिपालन के संबंध में किसी प्रबंध व्यवस्था की विषिष्टियाँ जो व्यक्तियों के परामर्ष / प्रतिनिधित्व के लिये उपलब्ध हैं।

1. समिति का नाम
2. सदस्यों के नाम
3. कार्य

लागू नहीं।

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

8. बोर्ड ,परिषदो,कमेटियों तथा अन्य निकाय में सम्मिलित पब्लिक के लिये उपलब्ध हैं,और क्या ऐसे सम्मेलनों के ब्यौरे /विवरण व्यक्तियों की पहुँच योग्य हैं ।

S.N o.	Name of the body	Name of the members	qualificati on
-	-	-	-

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

9. विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की निर्देशिका / डायरेक्टरी

S.No.	Name	Designation	Address, contract No.
		<u>सूची संलग्न है।</u>	

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

10. मासिक पारिश्रमिक जो प्रत्येक कर्मचारी / अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा रहा है तथ उनके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति / मुआवजा / प्रतिकर की पद्धति.

S.N o.	Nam e	Remunera tion	Compensa tion
-	-	-	-

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

11. उनकी एजेन्सी अभिकरण / विभाग के लिये आवंटित बजट, समस्त योजनाओं की जानकारी, प्रस्तावित खर्चों तथा भुगतान / अदायगी की रिपोर्ट्स

S.No.	Budget Head	Name of Work	Year	Allocation	Expenditure upto 09/05
1	2230(999)	Sal.etc	05-06	5470426	2497420
2	0101	Sal.etc		841084	346393
3	7850	GEY.		133000	69278
4	7851	RY		108000	1849
5	9999	NCC		30000	27323

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

12. अनुदान के प्रोग्रामों के प्रवर्तन की रीति और आबंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण

S. N	Name of Programmes	Administrative and sponsoring Deptt.	Year	Amount Allocated	No of beneficiaries
-	-	-	-	-	-

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

13. उसके द्वारा दी गई रियायतों / सुविधाओं, अनुज्ञा पत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की विषिष्टियाँ।

S. N	Nature of concession	Name	Address	Year	Kind of support	Approx value of concession
-	-	-	-	-	-	-

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

14.उसके द्वारा प्राप्यनीय या उसके द्वारा धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण।

S.No.	Category	Hard copy	Electronic form
-	-	-	-

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

15. नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्राप्यनीय सुविधाओं की विषिष्टियाँ और वाचनालय (लाइब्रेरी) या रीडिंग रूम के कार्यकारी घंटे (समय) यदि लोक उपयोग के लिये बनाये रखा गया है, की भी विषिष्टियाँ

S.N o.	Facilit y	Name of incharge	Duration of opening (time to be given)	Contac t No.
1	Princi pal`s Room	Princip al	Office Hours	26653 8

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदसंज्ञा / पदनाम तथा अन्य विषिष्टियाँ

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. नाम | ओ.पी. विष्वकर्मा |
| 2. पद | प्राचार्य |
| 3. फोन नं. | 266538 |
| 4. ई-मेल एड्रेस | — |
| 5. कार्यस्थल का पता | खुरई रोड, सागर |
| 6. मिलने का समय | कार्यालयीन समय। |

Right to Information Act 2005

धारा 4 बी

17. ऐसी अन्य सूचनायें विहित की जायें जो व्यक्तियों को सुविधाजनक हों।

प्रवेश की जानकारी सार्वजनिक की जाती है।

प्रशिक्षण की जानकारी ।

परीक्षा संबंधी जानकारी ।

परीक्षाफल संबंधी जानकारी ।

शिक्षुओं से संबंधित जानकारी ।

अन्य सभी योजनाओं की जानकारी जो

म.प्र. शासन द्वारा समय—समय पर

चलाई जाती है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

